15/10/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व
प्रतिवादी उप०। पत्रावली में संक्षिप्त में प्रकरण
इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत
अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया
कि वादग्रस्त आराजी खाता सं. 1954 नई व
२66 पुरानी के खसरा सं. 814 व 815 पर
इसका व इसके पूर्वजों का हक व अधिकार है
किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को 21/10/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को अप्रार्थी गण से उक्त भूमि हेतु लगान अदा किया जा रहा है। अप्रार्थी गण को नोटिस तामिल करवाये गये। बाद तामील होकर अप्रार्थी पक्षीय अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर न्यायालय में जाहिर किया कि उक्त भूमि पूर्वजों के समय से काबिज होकर कमा रहे हैं तथा प्रार्थी के पिता हरदासिया व अप्रार्थी सं. 1 के वालिया के पिता हेमिया ममेरे भाई हैं तथा उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थी व उनके पूर्वजों द्वारा नाम पृथक करवा दिये गये। साथ ही दौराने बहस भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त कथन दोहराये गये। अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस बताया गया कि वादीगण पूर्व में पास ग्राम बागीदौरा के मूल निवासी होकर इस क्षेत्र के गांव से प्रतिवादीगण के यहां आकर बस गये तथा उनकी के रिश्तेदार होने से अप्रार्थी के प्रार्थी गण के पूर्वजों को उक्त भूमि भरण पोषण हेतु दी थी किन्तु बाद में उक्त भूमि पर वादी द्वारा अपना नाम खातेदार के रूप में चढ़वा लिया जबकि प्रतिवादीगण भी उक्त जमीन पर 100 वर्षों से काबिज है।

इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी के सम्पूर्ण कथनों के उभयपक्ष चिंतन मनन के पश्चात यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच वादग्रस्त आराजीयात के कब्जे व मालिकाना हक को लेकर भारी विवाद है तथा दोनों ही उक्त आराजीयात पर अपना-अपना हक जता रहे हैं व उक्त विषय में उक्त भूमि पर दोनों पक्षों के मुकदमे भी भूंगडा थाना में दर्ज होकर चालान पेश किया गया है। अतः वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये जाकर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे। यह आदेश आज दिनांक 15/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/2020

उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

Scanned by CamScanner